

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 175/2025

साहबराम पुत्र सुलतानराम जाति जाट साकिन दीनगढ़ हाल आबाद मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

1. सुलतानराम पुत्र रामकिशन जाति जाट साकिन दीनगढ़ हाल आबाद मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. जगदीश पुत्र सुलतानराम जाति जाट साकिन दीनगढ़ हाल आबाद मदेरा तहसील श्रीगंगानगर
3. देवीलाल पुत्र सुलतानराम जाति जाट साकिन दीनगढ़ हाल आबाद मदेरा तहसील श्रीगंगानगर
4. विनोदकुमार पुत्र सुलतानराम जाति जाट साकिन दीनगढ़ हाल आबाद मदेरा तहसील श्रीगंगानगर
5. विमला पुत्री सुलतानराम जाति जाट साकिन दीनगढ़ हाल आबाद मदेरा तहसील श्रीगंगानगर
6. रेशमीदेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
7. पवनकुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
8. जगमोहन पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
9. सुलोचना पुत्री सुरजाराम पत्नी रविकुमार जाति जाट साकिन दीनगढ़ हाल अबाद टिब्बी
10. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

महाराज राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री. आमप्रकाश शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री नवरत्न स्वामी वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 6,8,9 मिन जामिन मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि सुरजाराम, सुलतान पिसरान रामकिशन के नाम दर्ज चक 5 डीएनजी के खाता संख्या 155/89 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 मे कुल 1.771 है भूमि मे से वादी साहबराम पुत्र सुलतानराम को 1.624 है. व प्रतिवादी संख्या 7 पवन कुमार पुत्र सुरजाराम को 0.147 है. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा सुरजाराम, सुलतान पिसरान रामकिशन के नाम दर्ज चक 4 एएमपी के खाता संख्या 178/114 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 मे कुल 6.325 है. आराजी मे से वादी साहबराम पुत्र सुलतानराम को 1.750 है. व प्रतिवादी संख्या 3 देवीलाल पुत्र सुलतान राम को 4.048 है. एवं प्रतिवादी संख्या 7 पवन कुमार पुत्र सुरजाराम को 0.527 है. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त चकों से सुरजाराम, सुलतान पिसरान रामकिशन का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज नल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.9.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
संगरिया